

# मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर - दिसम्बर, 1995 सत्र

## क्षेत्रिक कार्य सूची

ठिकाना विधानसभा भवन, इंदौर, मध्यप्रदेश, 452001

गुरुवार, दिनांक 23 नवम्बर, 1995 (अग्रहायण 2, 1917)

ठारामठ विधायक, शासकीय विधायक और लोकसभा, विधायक, लोक विधायक सभा विधायक लोकसभा के समय 10:30 बजे दिन 2001, कार्यालय (नवांशी) लोक

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथक्ता: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर किये जायेंगे। शीर्षक विधायक विधायक सभा के लिए इनके उत्तरों का उल्लेख नहीं किया जाएगा।

### 2. पत्रों का पठन पर रखा जाना

(1) श्री बी.आर.यादव, खनिज साधन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 पठन पर रखेंगे।

(2) श्री बी.आर.यादव, वन मंत्री, जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 पठन पर रखेंगे।

### 3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि : नवांशी (1)

"सदन कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की स्वीकृति देता है।"

(2) श्री शंकर प्रताप सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और प्रस्ताव करेंगे कि :-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

### 4. अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पठन पर रखा जाना

### 5. नियम 267-क के अधीन अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा प्राप्त उत्तरों का संकलन पठन पर रखा जाना

### 6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

### 7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकरण

(1) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, शाजापुर जिले के उप सचालक, शिक्षा द्वारा अनावश्यक पुस्तकों का क्रय कर अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री थावरचंद गेहलोत, सदस्य, उज्जैन जिले की सेठ गोविन्दराम शुगर मिल के प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों एवं कृषकों की लंबित राशि का भुगतान न किये जाने की ओर राज्यपाल, वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 8. सभापति लालिका की घोषणा

### 9. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के -

- (क) ग्राम नैगवा में बिजली लगाये जाने; तथा
- (ख) ग्राम कारीबराह में बिजली लगाये जाने;

(2) श्री रामलखन सिंह (त्योथर), सदस्य, रीवा जिले के -

- (क) ग्राम घटेहा नं. 1 में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने;
- (ख) ग्राम पटेहरा से सितलहा तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने; तथा
- (ग) ग्राम बरहा के दमौती टोला में पशु औषधालय खोले जाने;

(3) श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, राजधानी भोपाल के कमला पार्क स्थित धोबीघाट से अतिक्रमण हटाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे।

## 10. शासकीय विधि विवरण कार्य

श्री रामनिवास रावत, राज्यमंत्री, पंचायत एवं प्रामाणी विकास, मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 36 सन् 1995) का पुरस्थापन करेंगे।

11. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

**निर्धारित समय** 1 घण्टा 30 मि. **नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा**

प्रदेश में विद्युत कटौती, विद्युत उत्पादन में कमी तथा किसानों को विद्युत आपूर्ति न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, बृजमोहन अग्रवाल, कैलाश विजयवर्गीय, विक्रम देव उसेंडी, रघुनंदन शर्मा, गौरीशंकर द्विसेन, मोती कश्यप, कैलाश जोशी, डॉ. गोविन्द सिह एवं डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

12. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की दरमा

(1) दिनांक 14 सितम्बर, 1995 को राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक 4350), तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्रमांक 4864) एवं परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 62 (क्रमांक 4130) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य चर्चा उतारेंगे।

(2) दिनांक 31 अगस्त, 1995 को लोक निर्माण मंत्री से पूछे गये अताराकित प्रश्न संख्या 60 (क्रमांक 2721) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. आई.एम.पी वर्मा, सदस्य चर्चा उत्तरोत्तर

१०४

सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा